न्यायालय संभागीय आयुक्त, अजमेर

(बईजलास श्री भवंर लाल मेहरा, आई.ए.एस संभागीय आयुक्त, अजमेर)

अपील एल.आर. संख्या 27 / 2022 जिला–नागौर

नथमल पुत्र पेमाराम जाति जाट निवासी कसुम्बी जांखला तहसील लाडनू जिला नागौर।

———अपीलार्थी

बनाम

1. जवाहरमल पुत्र बालूराम
2. चन्द्राराम पुत्र बालूराम
3. हनुमान पुत्र बालूराम
4. झमकू देवी पत्नी पेमाराम
5. पूर्णाराम पुत्र पमाराम
   समस्त जाति जाट निवासीगण कसुम्बी जाखला तहसील लाडनू जिला नागौर।
6. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार लाडनू जिला नागौर।

————प्रत्यर्थीगण

———

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956,
विरूद्ध निर्णय उपखण्ड अधिकारी, लाडनू दिनांक 21–10–2021
अन्तर्गत प्रकरण संख्या 75 / 2021 बउनवान
राज सरकार बनाम जवाहरमल व अन्य

————

उपस्थित–
1. श्री अजयपाल डिढ़ारिया अभिभाषक अपीलार्थी
2. श्री सहदेव चौधरी प्रत्यर्थी संख्या 1 से 3
2. श्री आकाश पारीक राजकीय अभिभाषक प्रत्यर्थी संख्या–6

निर्णय

दिनांकः– 01–06–2022

अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि प्रत्यर्थी संख्या 6 तहसीलदार, लाडनू द्वारा एक प्रार्थना पत्र न्यायालय उपखण्ड अधिकारी लाडनू के समक्ष राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 131, 132 व नियम 58, 59, 60, 66 86 राजस्थान भू–अभिलेख नियम के तहत ग्राम कसुम्बी जाखला तहसील लाडनू के खसरा नम्बर 473 में मौके पर रास्ता चालू है परन्तु राजस्व अभिलेख एवं राजस्व

नक्शे में उक्त रास्ते का अंकन नहीं है। उक्त रास्ता काफी पुराने समय से चालू होने के आधार पर उक्त रास्ते को राजस्व अभिलेख में दर्ज किये जाने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जिसे उपखण्ड अधिकारी, लाडनू द्वारा स्वीकार कर अपने अपीलाधीन आदेश दिनांक 21–10–2021 द्वारा उक्त खसरा नम्बर 473 में से राजस्व अभिलेख एवं नक्शे में अंकन करने का आदेश पारित कर दिया। उक्त आदेश दिनांक 21–10–2021 से व्यथित होकर अपीलार्थी द्वारा यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

अपील दर्ज रजिस्टर कि जाकर प्रत्यर्थीगण को सुनवाई हेतु नोटिस जारी किये गये तथा संबंधित अभिलेख मंगवाया गया। उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की बहस सुनी गई।

अपीलार्थी के विद्वान अभिभाषक ने बहस के दौरान मुख्य–मुख्य तर्क दिये कि विवादित आराजियात खसरा नम्बर 473 का वर्तमान में कोई अस्तित्व ही नहीं है तथा उसके बटा नम्बर 832/473 रकबा 7.6900 हैक्टर, खसरा नम्बर 833/473 रकबा 0.2250 हैक्टर तथा 834/473 रकबा 6.9369 हैक्टर बने हुए है जो गाम कसूम्बी जाखला, पटवार हलका कसुम्बी अलीपुर तहसील लाडनू में स्थित है उक्त भूमि अपीलार्थी के कब्जे काश्त की भूमियां है जिस पर उसका हमेशा से ही कब्जा काश्त चला आ रहा है तथा उक्त भूमि में से कभी कोई रास्ता अस्तित्व में ही नहीं रहा है और ना ही मौके पर किसी प्रकार का कोई रास्ता चालू एवं मौजूद है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलार्थी को बिना नोटिस दिये एवं सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना एकक्षीय पटवारी हलका द्वारा तैयार मौका रिपोर्ट के आधार पर अपीलार्थी की खातेदारी कब्जे काश्त की भूमि पर जबरन नया रास्ता स्वीकृत करने का आदेश पारित कर कानूनी त्रूटि की गई है जो निरस्त किये जाने योग्य है।

उनका यह भी तर्क है कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष दिनांक 21–10–2021 को तहसीलदार लाडनू द्वारा सर्वप्रथम आवेदन अन्तर्ग धारा 131, 132 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 व नियम 58, 59, 60, 66, 86, राजस्थान भू–अभिलेख नियम के तहत प्रस्तुत किया जिसमें अपीलार्थी की रिपोर्ट दिनांक 20–10–2021 के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा राजस्व रेकार्ड में रास्ता दर्ज करने का आदेश न्यायिक प्रक्रिया अपनाये बिना पारित किया है जो निरस्त योग्य है।

उनका यह भी तर्क है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पक्षकारों की खातेदारी भूमियों में जबरन नया रास्ता स्वीकृत करने का आदेश पारित किया है और ना ही पक्षकारों को कभी कोई नोटिस जारी किये और न ही पक्षकारो को सुनवाई का कोई अवसर प्रदान किया गया। अधीनस्थ न्यायालय ने तहसीलदार द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के आधार पर एकपक्षीय आदेश पारित कर दिया जो त्रूटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है।

उनका यह भी तर्क है कि पटवारी हलका द्वारा तैयार की गई रिपोर्ट मौके पर जाकर तैयार नहीं की गई जिसके आधार पर पारित फैसला त्रुटिपूर्ण है। साथ ही प्रश्नगत भूमि पर कभी कोई रास्ता अस्तित्व में ही नहीं रहा और ना ही मौके पर किसी प्रकार का कोई रास्ता चालू है इसके लिए कानूनी कार्यवाही माननीय न्यायालय से अपेक्षित है पटवरी हलका की उक्त रिपोर्ट से पूर्व अपीलार्थी को ना तो काई नोटिस व सूचना दी गई तथा एकतरफा में तैयार मौका रिपोर्ट का कोई महत्व नहीं होता है और ना ही उसको साक्ष्य में ही पढ़ा जा सकता है। तहसीलदार अथवा आई.एल.आर से नीचे स्तर के अधिकारी को मौका रिपोर्ट तैयार करने का कोई अधिकार नहीं है। इससे स्पष्ट है कि पटवारी हलका द्वारा क्षैत्राधिकार का दुरूपयोग कर मनमर्जी से अपीलार्थीगण को नुकसान पहुंचाने की नियत से मौका रिपोर्ट तैयार की गई जिसके आधार पर अधीनस्थ न्यायलय द्वारा आदेश पारित किया है जो त्रूटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है।

उनका यह भी तर्क है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विरोधाभासी निर्णय पारित किया है। अधीनस्थ न्यायलय द्वारा प्रश्नगत आराजी के गै0मु0रास्ता दर्ज करने में खातेदार जवाहरराम, हनुमान व चन्द्राराम पुत्रगण बालूराम जाट द्वारा सहमति देने को आधार बनाकर आदेश पारित करने में कानूनी त्रुटि की है। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष तहसीलदार ने ही धारा 131 व 132 एल.आर.एक्ट के तहत आवेदन पत्र पेश किया है तथा उसको अपने पक्ष को साबित करना था। यदि प्रत्यर्थी संख्या 1 से 3 द्वारा कोई सहमति दी जाती है तथा इससे अपीलार्थी के हक अधिकारों का हनन कतई नहीं किया जा सकता है। यदि प्रत्यर्थी संख्या 1 से 3 की सहमति मानी जाती है तथा नवीन स्वीकृत मार्ग उनके हक हिस्से की भूमि में से दिया जाना चाहिए जिसमें अपीलार्थी को किसी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं है। किन्तु अपीलार्थी क हक हिस्से की भूमि पर से जबरन नया रास्ता स्वीकृत करने के लिए खातेदार प्रत्यर्थी संख्या 1 से 3 की सहमति मान्य नहीं है। नियमों के अन्तर्गत उक्त प्रकरण में सहमति अथवा आपत्ति तो रेकार्डेड खातेदार काश्तकार अपीलार्थी द्वारा ही की जा सकती है। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रश्नगत आराजी खसरा नम्बर 473 के किसी भी रेकार्डेड खातेदार काबिज काश्तकार को पक्षकार नहीं बनाया गया और ना ही किसी भी खातेदार को पक्षकार ही बनाया गया है अतः अधीनस्थ न्यायालय द्वारा समस्त पहलुओं को नजरअन्दाज कर अपीलाधीन आदेश पारित किया है जो निरस्त योग्य है।

उनका यह भी तर्क है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलार्थी को समुचित सुनवाई का अवसर प्रदान नहीं कर एकपक्षीय आदेश पारित किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलार्थीगण को ना तो कभी साधारण नोटिस जारी कर तामील करवाए और ना ही कभी रजिस्टर्ड एडी नोटिस भेजकर तामील कराये बिना एकपक्षीय आदेश पारित कर दिया। उक्त कथन के समर्थन मे अपीलार्थी के अभिभाषक द्वारा विभिन्न नजीरों का उल्लेख करते हुए अंकन किया है कि किसी भी व्यक्ति के विरूद्ध आदेश पारित करने से पूर्व उसे सुना जाना आवश्यक है। इसलिए अधीनस्थ न्यायालय का आदेश त्रूटिपूर्ण होने से निरस्त योग्य है।

उनका यह भी तर्क है कि अधीनस्थ न्यायलय द्वारा अपीलार्थी की संयुक्त खातेदारी की भूमि खसरा नम्बर 473 के बीच में से जो रास्ते का अंकन करने का आदेश दिया है जो अपीलार्थी की खातेदारी भूमि की उत्तरी सींव पर भी रास्ते का अंकन किया गया है जो कि मौके पर मौजूद ही नहीं है तथा अपीलार्थी की खातेदारी की भूमि खसरा नम्बर 473 से उत्तर दिशा में स्थित खसरा नम्बर 450 के बीच में से रास्ता मौके पर चालू है जो आज दिनांक तक भी मौके पर आवागमन के रूप में काम आ रहा है तथा अपीलार्थी की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 473 के आगे सीधे खसरा नम्बर 450 के बीच में से निकलता है जो मौके पर आज भी चालू किन्तु पटवारी हलका द्वारा ना तो इसको रिपोर्ट में दर्शाया गया है तथा मौके की स्थिति से भिन्न व गलत रिपोर्ट एकपक्षीय तैयार की गई है जिसके आधार पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश त्रुटिपूर्ण होने से निरस्त योग्य है।

उनका यह भी तर्क है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा राज्य सरकार राजस्व (ग्रुप–6) विभाग के परिपत्र क्रमांक प.3(2)राज–6/2003/पार्ट/04 जयपुर दिनांक 10–8–2016 को ध्यान में रखकर विधिविरूद्ध आदेश पारित किया है। प्रस्तुत प्रकरण में राज्य सरकार द्वारा जारी उक्त परिपत्र लागू ही नहीं होता है क्योंकि उक्त परिपत्र में केवल मात्र एक गांव से दूसरे गांव में जाने वाले रास्ते के संबंध में ही है तथा एक खातेदार के खेत से दूसरे खातेदारी के खेत में जाने के लिए उक्त परिपत्र कतई लागू नहीं होता है तथा अधीनस्थ न्यायलय के समक्ष बताये गये खसरा नम्बरों की भूमियां से एक गांव से दूसरे गांव जाने बाबत प्रश्न विचाराधीन ही नहीं है। अपीलार्थी को नुकसान पहुंचाने के उद्देश्य से त्रूटिपूर्ण आदेश पारित किया है जो निरस्त योग्य है। अतः अपीलार्थी की अपील स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायलय उपखण्ड अधिकारी, लाडनू द्वारा परित आदेश दिनांक 21–10–2021 निरस्त किये जाने हेतु निवेदन किया गया।

अपीलार्थीगण के विद्वान अभिभाषक की उक्त बहस का जवाब देते हुए प्रत्यर्थी संख्या 1 से 3 अपीलार्थी ने अपील खसरा नम्बर 473 के क्रम में प्रस्तुत की है जिसमें अनेक खातेदार है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा राजस्व रेकार्ड एवं नक्शे में रास्ता अंकन करने का आदेश अन्य खातेदारान की सहमति के आधार पर दिया है। सहमति पत्र में अपीलार्थी के हस्ताक्षर भी है अपीलार्थी ने रास्ता दर्ज करने की सहमति दी है। प्रशासन गांव के संग अभियान में उसी दिन ही कार्य होंगे। खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 473 में अन्य सहखातेदार भी है। उक्त रास्ता कसुम्बी जांखला तक जाता है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश विधिसम्मत है। अतः अपीलार्थी की अपील सारहीन होने से खारिज किये जाने हेतु निवेदन किया गया।

अपीलार्थी अभिभाषक के उक्त कथन के समर्थन में प्रत्यर्थी 6 के राजकीय अधिवक्ता ने तर्क दिये कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश नियमों के परिप्रेक्ष्य में पारित किया है जो विधिसम्मत है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रत्यर्थी संख्या 1 से 3 एवं अपीलार्थी की सहमति के आधार पर ही राजस्व रेकार्ड में रास्ते

का अंकन का आदेश पारित किया है। अधीनस्थ न्यायलय द्वारा राजस्व रेकार्ड एवं नक्शे में रास्ता अंकन का आदेश पारित किया है जो विधिसम्मत है। अतः अपीलार्थीगण की अपील सारहीन होने से खारिज किये जाने हेतु निवेदन किया गया।

मैंने दोनों पक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की सुनी बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख एवं दस्तावेजात का अवलोकन व अध्ययन किया जिससे यह स्पष्ट होता है कि ग्राम कसुम्बी जांखला तहसील लाडनू की आराजी खसरा नम्बर 473 में मौके पर रास्ता चालू है परन्तु राजस्व अभिलेख एवं राजस्व नक्शे में उक्त रास्ते का अंकन नहीं होने के कारण तहसीलदार लाडनू की मौका रिपोर्ट एवं पटवारी हलका की मौका रिपोर्ट में उक्त रास्ता काफी पुराने समय से चालू होना बताया है। तहसीलदार लाडनू ने उक्त रास्ते को राजस्व अभिलेख में अकन हेतु अपनी स्पष्ट अभिशंषा की है। विवादित भूमि खातेदारों की खातेदारी में ही रहेगी। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जन सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए तहसीलदार की मौका रिपोर्ट एवं राज्य सरकार राजस्व (ग्रुप–6) विभाग द्वारा जारी परिपत्र क्रमांक प.3(2)राज–6/2003/ पार्ट/04 जयपुर दिनांक 10–8–2016 में ऐसे रास्तों को राजस्व रेकार्ड में दर्ज करने हेतु निर्देश जारी किये गये है, की पालना में ही विवादित आराजियात खसरा नम्बर 473 में से गै0मु0रास्ता राजस्व रेकार्ड एवं राजस्व नक्शे में दर्ज किये जाने हेतु तहसीलदार, लाडनू को आदेश दिये है साथ ही विवादित आराजियात संबंधित खातेदारों की खातेदारी में ही यथावत बनी रहेगी। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी लाडनू द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 21–10–2021 विधिसम्मत होने से उसमें किसी प्रकार से हस्तक्षेप किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है।

अतः उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपीलार्थी की यह अपील सारहीन एवं तथ्यहीन होने से खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय (उपखण्ड अधिकारी) लाडनू द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 21–10–2021 अन्तर्गत राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 75/2021 बउनवान सरकार बनाम जवाहरमल व अन्य विधिसम्मत होने से यथावत रखा जाता है।

निर्णय आज दिनांक 01–06–2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(भवंर लाल महेरा)
संभागीय आयुक्त,
अजमेर